



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बीकानेर

Contact No. 0151-2226017

E-mail – ddbikaner.wcd@rajasthan.gov.in

क्रमांक:— मबावि/बीका/विज्ञप्ति/2025-26/रैफरेन्स संख्या

दिनांक:— यथा हस्ताक्षर

--: विज्ञप्ति संख्या 02/2025 ::--

बीकानेर जिले के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका, मानदेयसेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं—

कार्यालय, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बीकानेर विज्ञप्ति संख्या 02/2025 दिनांक 22.12.2025

क्र.सं.	परियोजना	आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र कोड	सेक्टर	वार्ड नम्बर/ राजस्व गांव	ग्राम पंचायत/ नगरपालिका	रिक्त पद का विवरण		आरक्षण श्रेणी एस. सी/ एस.टी / अल्पसंख्य क / सामान्य
							आं.बा. कार्यक र्ता	सहायिका	
01	बीकानेर शहर	5	8101010234	B	43	नगर निगम बीकानेर	0	1	—
		6-I	8101010207	B	23	नगर निगम बीकानेर	0	1	—
		10-III	8101010216	B	71	नगर निगम बीकानेर	0	1	एससी
		19-I	8101010224	B	24	नगर निगम बीकानेर	1	0	—
		10-II	8101010215	B	71	नगर निगम बीकानेर	0	1	एससी
		23 Mini	8101010103	C	7	नगर निगम बीकानेर	0	1	—
		25-II	8101010305	C	29	नगर निगम बीकानेर	0	1	—
		38-I	8101010324	C	35	नगर निगम बीकानेर	0	1	—
		40-III	8101010330	C	9	नगर निगम बीकानेर	0	1	एससी
		35-I	8101010319	C	49	नगर निगम बीकानेर	1	0	—
		48-II	8101010420	D	37	नगर निगम बीकानेर	0	1	—
		57-II	8101010440	D	41	नगर निगम बीकानेर	1	0	—
		47-II	8101010415	D	53	नगर निगम बीकानेर	0	1	एससी
		48-I	8101010419	D	54	नगर निगम बीकानेर	1	0	अल्पसंख्य क
		योग					04	10	
02	कोलायत	लूम्बासर	8101060426	गजनेर	लूम्बासर	खारी चारणान	0	1	—
		बलाला	8101060424	गजनेर	बलाला	चांडासर	0	1	—
		भोम अखेसिंह	8101060529	दियातरा	भोम अखेसिंह	टोकला	0	1	—
		जैतुगो की ढाणी	8101060625	गडियाला	जैतुंगो की ढाणी	शंभु का भुर्ज	0	1	—
		शंभू का भुर्ज	8101060615	गडियाला	शंभु का भुर्ज	शंभु का भुर्ज	0	1	—
		योग					0	5	
03	बीकानेर ग्रामीण	देशनोक वार्ड नं. 5	08101020808	देशनोक	देशनोक वार्ड नं. 05	देशनोक	0	1	—
		गाढ़वाला—1	08101020901	गाढ़वाला	गाढ़वाला	गाढ़वाला	0	1	—
		सुरधना	08101020916	गाढ़वाला	सुरधना	सुरधना	0	1	—
		रिडमलसर—1	08101020906	गाढ़वाला	रिडमलसर	रिडमलसर	1	0	एससी
		नैणों का बास	08101020911	गाढ़वाला	नैणों का बास	रिडमलसर	0	1	—
		बरसिंहसर—2	08101020704	पलाना	बरसिंहसर	बरसिंहसर	0	1	—
		पलाना—4	08101020715	पलाना	पलाना	पलाना	0	1	—

BayKaj Ref No
19526277



eSign 1.0

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Bishnoi

Designation : Deputy Director

Date: 2025.12.22 16:34:29 IST

Reason: Approved

		शेरेरां—1	08101020423	नौरंगदेसर	शेरेरां	शेरेरां	0	1	—
		बम्बलू—2	08101020403	नौरंगदेसर	बम्बलू	बम्बलू	1	0	—
		हेमेरां—1	08101020408	नौरंगदेसर	हेमेरां	हेमेरां	0	1	—
		खारड़ा—1	08101020409	नौरंगदेसर	खारड़ा	खारड़ा	0	1	एससी
		हुसंगसर	08101020307	जामसर	हुसंगसर	हुसंगसर	0	1	—
		मौलानिया	08101020322	जामसर	मौलानिया	मौलानिया	0	1	—
		धोलेरां	08101020328	जामसर	धोलेरां	कालासर	0	1	—
		नाल—1	08101021001	नाल	नाल	नालबड़ी	1	1	—
		सरह रूपायत	08101021016	नाल	सरह रूपायत	कालासर	1	0	—
		रामसर—1	08101020515	नापासर	रामसर	रामसर	1	0	—
		योग					06	13	
04	श्री डुंगरगढ़	माता जी मोड़	8101040329	रीडी बी	माता जी मोड़	मिंगसरिया	0	1	—
		जोधसर	8101040611	सेरुणा	जोधसर	जोधसर	0	1	—
		डेलानिया जोहड़	8101040504	रीडी ए	डेलानिया जोहड़	धर्मास	0	1	—
		बिग्गा डी	8101010727	श्रीडूंगरगढ़ 01	बिग्गा	बिग्गा	0	1	एससी
		मणकरासर	8101040615	सेरुणा	मणकरासर	समन्दसर	1	0	—
		बापेऊ 02	8101040202	दुलचासर	बापेऊ	बापेऊ	0	1	—
		कीतासर सी	8101040909	तौलियासर	कीतासर बिदावतान	कीतासर बिदावतान	1	0	—
		जाखासर ए	8101040317	रीडी बी	जाखासर	जाखासर	0	1	—
		मिंगसरिया	8101040325	रीडी बी	मिंगसरिया	मिंगसरिया	0	1	—
		आडसर सी	8101040403	मोमासर	आडसर	आडसर	0	1	—
		पुन्दलसर बी	8101040819	श्रीडूंगरगढ़ 02	पुन्दलसर	पुन्दलसर	0	1	—
		दुसारणा बड़ा बी	8101040813	श्रीडूंगरगढ़ 02	दुसारणा बड़ा	दुसारणा पंडरिक	0	1	—
		योग					02	10	
05	बज्जू खालसा	कोलासर पश्चिम ए	8101110303	बीकमपुर	कोलासर पश्चिम	कोलासर पश्चिम	0	1	एससी
		मेडी का मगरा	8101110301	बीकमपुर	मेडी का मगरा	कोलासर पश्चिम	0	1	—
		बीकोलाई	8101110316	बीकमपुर	बीकोलाई	बीकमपुर	1	1	—
		नाईयों की ढाणी	8101110312	बीकमपुर	बीकमपुर	बीकमपुर	0	1	—
		पाबूसर पश्चिम	8101110309	बीकमपुर	पाबूसर पश्चिम	कोलासर पश्चिम	0	1	—
		डंडखुर्द	8101110219	बरसलपुर	डंडखुर्द	बिजेरी	0	1	—
		गौडू ए	8101110414	गौडू	गौडू	गौडू	0	1	—
		15 सीडब्ल्यूबी	8101110404	गौडू	भारतसिंह पुरा	फूलासर छोटा	0	1	—
		योग					01	08	
06	पांचू	देसलसर—I	8101090111	जांगलू	देसलसर पुरोहितान	देसलसर	01	0	—
		पारवा — II	8101090126	जांगलू	पारवा	पारवा	01	0	—
		पंचायती बास रासीसर	8101090129	जांगलू	पंचायती बास रासीसर	रासीसर	0	1	—
		स्वरूपसर—I	8101090207	कक्कू	स्वरूपसर	स्वरूपसर	0	1	—
		दावा—01	8101090215	कक्कू	दावा	दावा	0	1	—
		कक्कू—III	8101090203	कक्कू	कक्कू	कक्कू	0	1	—
		योग							
07	खाजुवाला	5 डीडब्ल्यूडी	8101050220	दन्तौर	गुलामअलीवाला	2			

		3 केजेएडी	8101050129	खाजुवाला	5केजेएडी	22 केवाईडी	1	0	एससी
		रमजानवाला	8101050111	खाजुवाला	रमजानवाला	कुण्डल	0	1	अल्पसंख्यक
		3 पीडब्ल्यूडीएम	8101050453	19केजेडी	3पीडब्ल्यूडीएम	3पीडब्ल्यूडीएम	0	1	एससी
		34 केवाईडी	8101050455	19केजेडी	34केवाईडी	34केवाईडी	0	1	—
		3एसएसएम 1	8101050458	19केजेडी	31 केवाईडी	34केवाईडी	0	1	—
		योग						01	05
08	नोखा	सलुण्डिया 02	8101011113	सिंजगुरु	सलुण्डिया	सलुण्डिया	01	—	—
		थावरिया — I	8101081021	मैनसर	थावरिया	थावरिया	01	0	—
		बीकासर	8101080924	नोखा बी	बीकासर	बीकासर	0	1	—
		साउलढाणी, रायसर	8101080921	नोखा बी	रायसर	रायसर	0	1	एससी
		मेघवालों की ढाणी, रायसर	8101080919	नोखा बी	रायसर	रायसर	0	1	—
		मेघवालों की ढाणी, बीरमसर	8101080927	नोखा बी	बीरमसर	बीरमसर	0	1	एससी
		बेरासर — II	8101081122	सिंजगुरु	बेरासर	बेरासर	0	1	—
		सिंजगुरु — I	8101081101	सिंजगुरु	सिंजगुरु	सिंजगुरु	0	1	एससी
		मुकाम	8101080309	मुकाम	मुकाम	मुकाम	0	1	—
		बादनू — II	8101081209	कुचौर आथूनी	बादनू	बादनू	0	1	—
		योग						02	08
09	लूनकरणसर	ढाणी खोड़ा	8101070621	महाजन	ढाणी खोड़ा	शेरपुरा	0	1	—
		लूनकरणसर 10	8101070510	लूनकरणसर	वार्ड न. 28(परिसीमन पूर्व)	लूनकरणसर	0	1	—
		अमरपुरा 1	8101070808	भाडेरा	अमरपुरा	ढाणी पाडुसर	0	1	—
		खोडला 2	8101070807	भाडेरा	खोडला	खोडला	0	1	—
		भादवा	8101070717	खियेरा	भादवा	खियेरा	0	1	—
		राणीसर	8101070307	महाजन	राणीसर	रामबाग	0	1	—
		छट्टासर	8101070413	कालु	छट्टासर	कागासर	0	1	—
		जैतपुर 4	8101070304	अरजनसर	जैतपुर	जैतपुर	0	1	—
		योग						0	08
10	पूगल	करणीसर भाटियान	8101050605	पूगल ए	करणीसर भाटियान	करणीसर भाटियान	1	1	—
		पूगल 3	8101050612	पूगल ए	वार्ड न 7, 8 / पूगल	पूगल	1	0	—
		1 केएम	8101050711	पूगल बी	3 केएम (सुखदेवपुरा)	भुट्टोवाली	0	1	—
		9 आरडी	8101050409	छतरगढ़ ए	छतरगढ़	छतरगढ़	0	1	अल्पसंख्यक
		533 आर डी	8101050412	छतरगढ़ ए	छतरगढ़	छतरगढ़	0	1	अल्पसंख्यक
		अक्कावालाडेर	8101050407	छतरगढ़ ए	छतरगढ़	छतरगढ़	0	1	अल्पसंख्यक
		आशापुरा	8101100425	पूगल बी	आशापुरा	शिवनगर	1	0	—
		योग						03	05
कुल योग						21	76		

नोट:- ग्रामीण क्षेत्र से इच्छुक महिला अभ्यर्थी ग्राम पंचायत/ग्राम/आंगनबाडी केन्द्रवार एवं शहरी क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थी वार्डवाइज आंगनबाडी कार्यकर्ता/आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी एवं शर्तों को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अथवा विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Bishnoi
Designation : Deputy Director
Date: 2025.12.22 16:34:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19526277

eSign 1.0

शर्तः—

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- विवाहित और अविवाहित दोनों ही आवेदन के पात्र हैं।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित— प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्प्रोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है परन्तु 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ स्वःप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है परन्तु 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ स्वःप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (कोई भी दो) (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
- आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः : **दिनांक 23.12.2025 प्रातः 10.30 बजे से 21.01.2026 सायं 06.00 बजे** तक जमा करा सकेगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
- इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <https://wcd.rajasthan.gov.in/icds/#/home/dptHome> पर उपलब्ध कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
- सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(सुभाष बिश्नोई)

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

बीकानेर

क्रमांकः—मबावि/बीका/विज्ञप्ति/2025/ रैफरेन्स संख्या

दिनांकः—यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
- उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बीकानेर।
- उप निदेशक (ए.सी.पी.) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला बीकानेर।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त बीकानेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी मानदेय सेवा में चयन करने के लिए विभागीय परिपत्र दिनांक 12.01.2023, संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 01.10.2024 में वर्णित चयन हेतु प्रसारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानदण्डों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत मानदेय कर्मियों के चयन की प्रक्रिया सम्पादित करें। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पाये जाने की स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Bishnoi
Designation: Deputy Director
Date: 2025.12.22 16:34:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19526277

eSign 1.0



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बीकानेर

Contact No. 0151-2226017

E-mail – ddbikaner.wcd@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- मबावि/बीका/विज्ञप्ति/2025-26/ रैफरेन्स संख्या

दिनांक:-यथाहस्ताक्षर

--: विज्ञप्ति संख्या 02/2025 ::--

बीकानेर जिले के अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका, मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.स.	बाल विकास परियोजना, कार्यालय का नाम	ई-मेल आईडी	रिक्त पदों की संख्या		कुल रिक्त पदों की संख्या
			आ.बा.कार्यकर्ता	सहायिका	
1	बीकानेर शहर	cdpo.bikanercity@rajasthan.gov.in	04	10	14
2	कोलायत	icds.kolayat@rajasthan.gov.in	00	05	05
3	बीकानेर ग्रामीण	icds.bikanerrural@rajasthan.gov.in	06	13	19
4	श्रीदुंगरगढ़	icds.dungargarh@rajasthan.gov.in	02	10	12
5	बज्जु खालसा	ICDS.BAJJU@rajasthan.gov.in	01	08	09
6	पांचू	icds.panchoo@rajasthan.gov.in	02	04	06
7	खाजुवाला	icds.khajuwala@rajasthan.gov.in	01	05	06
8	नोखा	icds.nokha@rajasthan.gov.in	02	08	10
9	लुनकरणसर	icds.loonkaransar@rajasthan.gov.in	00	08	08
10	पूगल	cdpopoogle@gmail.com	03	05	08
कुल			21	76	97

नोट:- ग्रामीण क्षेत्र से इच्छुक महिला अभ्यर्थी ग्राम पंचायत/ग्राम/आंगनबाड़ी केन्द्रवार एवं शहरी क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थी वार्डवाइज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी एवं शर्तों को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अथवा विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

शर्त:-

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- विवाहित और अविवाहित महिला दोनों ही आवेदन के पात्र हैं।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित- प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पौषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है परन्तु 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ स्वःप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य है परन्तु 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ स्वःप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (कोई भी दो) (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। अन्यथा आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।

RajKaj Ref No.:
19526277

eSign 1.0

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Bishnoi
Designation : Deputy Director
Date: 2025.12.22 16:34:29 IST
Reason: Approved

14. विज्ञप्ति संख्या 02/2025 हेतु नवीन आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक 23.12.2025 प्रातः 10.30 बजे से 21.01.2026 को सांय 06.00 बजे तक जमा करा सकेंगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
16. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <https://wcd.rajasthan.gov.in/icds/#/home/dptHome> पर उपलब्ध कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023, विभागीय पत्र क्रमांक 57871-58286 दिनांक 01.03.2024 एवं संशोधित मूल्यांकन प्रपत्र आदेश संख्या 10872467 दिनांक 01.10.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
17. सभी आवेदक आवेदन पत्र (समस्त संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर) की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(सुभाष बिश्नोई)

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

बीकानेर

क्रमांक:-मबावि/बीका/विज्ञप्ति/2025/

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति दो (2) राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में DIPR दर पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावें।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
5. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बीकानेर।
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला बीकानेर।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त बीकानेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आंगनवाड़ी मानदेय सेवा में चयन करने के लिए विभागीय परिपत्र दिनांक 12.01.2023, संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 01.03.2024 एवं दिनांक 01.10.2024 में वर्णित चयन हेतु प्रसारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानदण्डों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत मानदेय कर्मियों के चयन की प्रक्रिया सम्पादित करें। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पाये जाने की स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Bishnoi
Designation : Deputy Director
Date: 2025.12.22 16:34:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19526277

eSign 1.0